



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940  
No. 838] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

**का.आ. 969(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
559	344एन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिचाऊं कला के निकट रारा-344एम के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और हरियाणा राज्य में बालौर गांव (बहादुरगढ़ बाइपास) के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

560	344पी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बवाना औद्योगिक क्षेत्र के निकट रारा-344एम के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और हरियाणा राज्य में बरवासिनी गांव (सोनीपत) के निकट रारा-352ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	-------	--

[फा. सं. एनएच-14012/6/2017-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 686-87 (अ), दिनांकित 18.02.2019 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2019

**S.O. 969(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
559	344 N	The highway starting from its junction with NH-344M near Dichaun Kalan in NCT of Delhi and terminating at its junction with NH- 9 near Balaur village (Bahadurgarh Bypass) in the state of Haryana.
560	344 P	The highway starting from its junction with NH-344M near Bawana Industrial Area in NCT of Delhi and terminating at its junction with NH-352A near Barwasini village (Sonipat) in the State of Haryana.

[F. No. NH-14012/6/2017-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote:-** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 686-87 (E), dated 18.02.2019.